139

संख्या– /XXVIII–4–2013–44(10)/2012

प्रेषक,

पीयूष सिंह
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 13 नवम्बर, 2013

विषय– सचल चिकित्सा वाहनों के संचालन/प्रबन्धन हेतु प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–16प/वाहन/5/2008/28430 दिनांक 11.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैसर्स डा0 जैन वीडियो ऑन व्हील्स द्वारा संचालित सचल चिकित्सा वाहनों के संचालनार्थ माह सितम्बर, 2013 हेतु अनुमोदित धनराशि में से प्राप्त यूजर्स चार्जेस तथा अनुरक्षित स्टॉक व अकिय उपकरणों के दृष्टिगत् ₹ 12,24,913.00 की कटौती करते हुये कुल ₹ 68,08,420/– (₹ अढ़सठ लाख आठ हजार चार सौ बीस मात्र) के भुगतान हेतु ₹ 68,08,000.00 (₹ अढ़सठ लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर सचल चिकित्सालयों के संचालन हेतु संचालनकर्ता फर्म को उनके साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा स्वीकृत दरों के अनुरूप नियमानुसार देय धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की जायेगी। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु महानिदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी/आहरण–वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII(I)/2013 दि0 30.03.2013 एवं शासनादेश संख्या–413/XXVII(1)/2013, दिनांक 10.06.2013 में इंगित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
3. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्तों तथा योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जा रहा है।
4. धनराशि का आहरण एवं व्यय मितव्ययिता को ध्यान में रखकर वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही नियमानुसार किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में धनराशि का अनावश्यक व्यय कदापि न किया जाय।
5. भविष्य में धनराशि के प्रस्ताव के साथ सभी जनपदों की औचक निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि प्रस्ताव के साथ समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पूर्व इंगित कमियों को ठीक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं तद्नुसार कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. सेवा प्रदाता फर्म को उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का विस्तृत व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित लेखा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. वाहनों में स्टॉफ की अनुपलब्धता एवं मशीनों के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था को स्टॉफ की उपलब्धता एवं खराब मशीन को तत्काल ठीक कराने हेतु नोटिस दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. सचल चिकित्सा वाहनों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में यदि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा समयबद्ध कार्यवाही न की जा रही हो, तो अनुबन्ध के शर्तों के अधीन उसके विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शासन को समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।

9. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुसार समीक्षा एवं आडिट की कार्यवाही समय–समय पर की जाय एवं शासन को तद्नुसार अवगत कराया जाय।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06–लोक स्वास्थ्य 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पी.पी.पी. 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

11. वित्त विभाग से सम्बन्धित शासनादेशों एवं स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध यदि कोई अनियमितता संज्ञान में आती है, तो उसका पूर्व उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 1515 (1)/XXVIII–4–2013–44(10)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, देहरादून उत्तराखण्ड ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 एंव 1/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. मैसर्स डा0 जैन वीडियो ऑन व्हील्स नई दिल्ली– 110 016
8. गार्ड फाईल/चिकित्सा–5

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।